# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा (झुन्झुनूं)

वाद सं0 05/2023

पीठासीन अधिकारी— बृजेश कुमार, आर0ए0एस0

1. सुमन पुत्री स्व० श्री हरिराम, आयु 28 वर्ष,
2. कमला देवी पत्नी स्व० श्री हरिराम आयु 50 वर्ष
समस्त जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू, राज०

—वादियागण

**बनाम**

1. ओमप्रकाश पुत्र गौकलराम
2. दीपचन्द पुत्र गोकलराम
3. धर्मचन्द पुत्र गोकलराम
4. निहाल सिंह पुत्र गोकलराम
5. नवीन पुत्र हजारीलाल
6. नीतु पुत्री हजारीलाल
7. पूजा पत्नी हजारीलाल,
समस्त जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील चिह्नावा जिला झुंझुनू राज०
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू, राज०

—प्रतिवादीगण

## वाद बाबत घोषणात्मक, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—
1. श्री राकेश आर्य वकील वादियागण
2. श्री दीपक शर्मा वकील प्रतिवादीगण

## निर्णय

दिनांकः— 29.01.2024

वादियागण ने न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि— मौजा ग्राम अजीतपुरा तहसील चिडाया जिला झुंझुनू में भूमि हाल खसरा नं 101 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नं. 103 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नं. 104 रकबा 0.13 हैक्टर कुल खसरे 3 कुल रकबा 1.97 हैक्टर गोकलराम पुत्र जोखीराम जाति जाट निवासी अजीतपुरा की खातेदारी में दर्ज रही है एवं उक्त भूमियों का खातेदार काश्तकार जीवन पर्यन्त उक्त गोकलराम रहा है जिसका देहान्त हो चुका है। वादियागण व प्रतिवादीगण नं 1 से 7 का कॉमन पूर्वज गोकलराम पुत्र जोखीराम था जिसकी वंशावली निम्न प्रकार है—

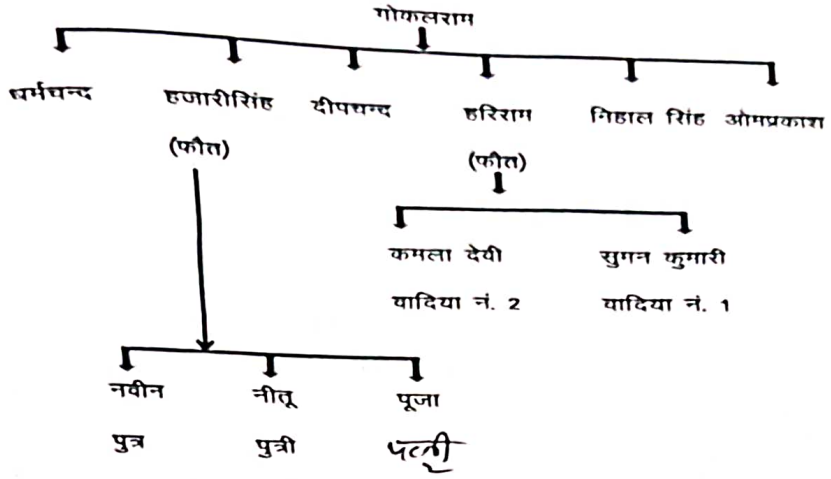


उक्त गोकलराम वादिया नं. 1 का दादा व वादिया नं. 2 का ससुर था गोकलराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने छ पुत्रों को बहिस्सा बराबर प्रत्येक को काश्त हेतु दे दी थी। स्व० हरिराम वादिया नं. 1 का पिता व वादिया नं. 2 का पति था. ने अपने पिता गोकलराम से पृथक हक हिस्सा 1/6 को अपने जीवनकाल में काश्त लाट– बाट किया एवं काश्त एवं लाट बांट करवाता था तथा भूमियों के अपने हिस्से 1/6 पर काबिज काश्त व काबिज मालिक रहा। उक्त हरिराम की मृत्यु होने पर वाद वर्णित कृषि भूमियों का हिस्सा 1/6 हरिराम के वारीसान वादियागण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित खातेदार सरिया देवी पत्नी गोकलराम का देहान्त दिनांक 27.02.2019 को हो चुका है। जिसके वारीसान वादियागण व प्रतिवादीगण नं. 1 से 7 हैं। वादिया नं. 1 के दादा व वादिया नं. 2 के ससुर का देहान्त हुआ तो उनका विरासतन नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 15.01.1996 स्वीकृत किया गया तो हल्का पटवारी ने गोकलराम के वारीसान की बिना कोई सही जांच किये वादिया नं. 1 के पिता व वादिया नं. 2 के पति हरिराम का नाम छोड़ दिया एवं ग्राम पंचायत नूनिया गोठडा के सरपंच से गलत व अवैध रूप से स्वीकृत करवा लिया जो गलत रूप से स्वीकृत किया गया है व उस नामान्तकरण के आधार पर गलत व अवैध राजस्व रिकार्ड तैयार कर दिया व वाद पत्र की धारा नं. 1 में अंकित वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी व हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज कर दिया तथा उक्त गलत बने राजस्व रिकार्ड के आधार पर ही आगे राजस्व रिकार्ड गलत चलता रहा। उक्त नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 15.01.1996 व उसके आधार पर गलत बना राजस्व रिकार्ड वादियागण के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ शुन्य व बेअसर है जिसको निरस्त किया जावे व उक्त गलत नामान्तकरण के आधार पर बना गलत राजस्व रिकार्ड भी वादियागण के खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध शुन्य य निष्प्रभावी है जिसको भी दुरुस्त किया जावे। वादग्रस्त आराजी में वादियागण व प्रतिवादीगण 1 से 7 ने अपना हिस्सा सहुलियत से मौके पर विभाजन कर रखा है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादियागण का हिस्सा 1/6 है जिसकी खातेदारी की घोषणा वादियागण अपने नाम करवाने की अधिकारी है। दिनांक 18.08.2022 को वादियागण अपने हिस्से की भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए हल्का पटवारी से वाद पत्र की धारा नं. 1 में अंकित वादग्रस्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी निकलवाई तो वादियागण को पता चला कि उक्त वादग्रस्त भूमियों में उनका नाम नहीं है जिस पर वादग्रस्त भूमियों का सम्पूर्ण राजस्व निकलवाया जिसको पढ़ने व पढ़वाने पर सम्पूर्ण तथ्यों का ज्ञान हुआ जिस पर वादियागण ने प्रतिवादीगण नं. 1 से 7 को दिनांक 15.12.2022 को वादियागण का नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 ने राजस्व रिकार्ड में वादियागण का नाम दर्ज करवाने से मना कर दिया व वादग्रस्त भूमियों को विक्रय करने की धमकी दी जिस कारण वादियागण द्वारा अपने हकुकों की रक्षार्थ यह वाद न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्तानुसार वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया– वाद वादियागण वहक वादियागण विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर डिकी फरमाया जावे कि–

1. यह कि भूमि हाल खसरा नं. 101 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नं. 103 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नं. 104 रकबा 0.13 हैक्टर कुल खसरे 3 कुल रकबा 1.92 हैक्टर ग्राम अजीतपुरा तहसील चिड़ावा के हिस्ता 1/6 का खातेदार काश्तकार वादियागण को घोषित किया जावे।
2. यह कि नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 15.01.1996 ग्राम अजीतपुरा को व इसके आधार पर गलत बना आ रहा राजस्व रिकार्ड को वादियागण के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ शुन्य व बेअसर घोषित किया जाकर उक्त नामान्तकरण संख्या 60 को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश फरमाया जाये।
3. यह कि अन्य सिद्धि जो वहक वादियागण हो परन्तु भूलवश चाही जाने से रह गई हो वह भी धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रदान की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता हाजिर आये व इकबालिया जवाब पेश किया जिसमें वाद के समस्त मदों को स्वीकार करते हुये वाद पत्र डिकी करने पर कोई एतराज आपत्ति जाहिर नही की। वाद में निम्न तनकीयात कायम कि गई :–

तनकी सं0 1 – आया वादीगण भूमि हाल खसरा नं0 101 रकबा 0.91 हैक्टयर, खसरा नं0 103 रकबा 0.88 है० खसरा नं0 104 रकबा 0.13 है० कुल किता 03 कुल रकबा 1.92 है० ग्राम अजीतपुरा के हिस्सा 1/6 के खात्तेदार कास्तकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

– भार वादीगण

तनकी सं0 2– आया नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 15.01.1996 ग्राम अजीतपुरा को व उसके आधार पर बने राजस्व रिकोर्ड को बादीगण के अधिकारों के खिलाफ शुन्य व बेअसर घोषित करवाने के व नामान्तरकरण संख्या 60 को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

– भार वादीगण

वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र में साक्ष्य वादी में शपथ पत्र बयानचीफ पी०डब्लू–1 सुमन पुत्री स्व० श्री हरिराम, पी०डब्लू 2 कमला देवी पत्नी स्व० श्री हरिराम के पेश किया। वकील वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 10 पेश किये जिसको लाल स्याही से प्रदर्शित करवाये गये। इकबालिया जवाब होने से जिरह शून्य रही। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। दौरान बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र व अनुतोष का विवेचन किया व वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक इकबालिया जवाब वाद पत्र डिकी करने पर कोई एतराज नही किया। इस प्रकार वादी पक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्रान व अपनी बहस से उक्त दोनो तनकीयात को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। फलतः दोनो तनकीयात वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर निर्णित किया जाना न्यायोचित है।

## आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण स्वीकार व डिकी किया जाकर राजस्व ग्राम अजीतपुरा, पटवार मण्डल नूनियां गोठड़ा तहसील चिड़ावा स्थित भूमि खसरा नं0 101 रकबा 0.91 हैक्टे0, खसरा नं0 103 रकबा 0.88 हेक्टे0, खसरा नं0 104 रकबा 0.13 हैक्टे0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.92 हैक्टे0 के संबन्ध में दर्ज नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 15.01.1996 ग्राम अजीतपुरा को निरस्त किया जाता है तथा उक्त आराजी में वादीगण 1 ता 2 को

हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज मृतका खातेदार सरिया देवी पत्नि गोकलराम का नाम हजफ किया जावें तथा वादियागण 1 ता 2 के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण 5 ता 7 प्रत्येक के 1/18 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हों। पत्रावली वाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

29/01/2024

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा